



2026:AHC: 11420

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43664/2025

भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम सभा सेमरी टप्पा चांदपार, परगना धुरियापार, तहसील गोला एवं
अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: विश्वनाथ मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- वर्तमान रिट याचिका भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम सभा सेमरी, टप्पा चांदपार, परगना धुरियापार, तहसील गोला, जनपद गोरखपुर द्वारा अपनी प्रधान श्रीमती रागिनी तिवारी के माध्यम से दायर की गई है।

2- जब न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा एक निजी अधिवक्ता को कैसे नियुक्त किया गया, तो याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ मिश्रा ने इस न्यायालय के समक्ष ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 02.09.2025 प्रस्तुत किया। जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

“उपस्थित सभी सदस्यगण द्वारा विचार क्या गया कि उक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करने हेतु ग्राम सभा के वकील / शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ इनके सहयोग हेतु प्राइवेट अधिवक्ता की नियुक्ति क्या जाना आवश्यक है”

3- उपरोक्त के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता या स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और निजी अधिवक्ता को केवल सहायता के उद्देश्य से नियुक्त किया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान रिट याचिका न तो ग्राम सभा की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता द्वारा और न ही स्थायी अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है।

4- याचिकाकर्ता संख्या 2, श्रीमती रागिनी तिवारी, ग्राम प्रधान को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए, जिनके द्वारा निजी अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया था।

5- इस वाद को 28.01.2026 को सूचीबद्ध करें।

6- इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को इस स्तर पर बल न देने के कारण खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

7- तदनुसार, रिट याचिका को इस स्तर पर बल न देने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

16 जनवरी, 2026

स्वाति